



2026:AHC:166939

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27724 सन् 2026

चंद्रावती देवी

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदिका की ओर से अधिवक्ता

:

राघवेंद्र प्रताप सिंह, उदय भानु सिंह

विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता

:

अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यू.बी. सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 168 सन् 2025, धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना केराकत, जनपद जौनपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदिका की ओर से प्रस्तुत किया गया द्वितीय जमानत आवेदन है तथा आवेदिका का प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1002 सन् 2026 में पारित दिनांक 29.01.2026 के आदेश द्वारा इस तथ्य पर विचार करने के पश्चात निरस्त कर दिया गया था कि आवेदिका मृतका की सास है तथा उसकी पुत्रवधू की मृत्यु उसके वैवाहिक घर में गला दबाए जाने के कारण हुई थी और दहेज की मांग तथा प्रताड़ना का आरोप है, किंतु आवेदिका महिला है तथा जून, 2025 से अर्थात् पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध है।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से भी यह परिलक्षित होता है कि मृतका अपने पति के साथ पृथक मकान में निवास करती थी।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतका की शव-परीक्षण रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि मृतका की मृत्यु गला दबाए जाने के कारण हुई, किंतु गर्दन की चोट के अतिरिक्त उसे कोई अन्य चोट नहीं आई थी। अतः यह परिलक्षित होता है कि मृतका का पति ही वास्तविक अपराधी था, जिसने अपनी पत्नी अर्थात् मृतका की हत्या की।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतः उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका को जमानत पर रिहा किया जाए।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि यह आवेदिका की ओर से प्रस्तुत किया गया द्वितीय जमानत आवेदन है तथा आवेदिका का प्रथम जमानत आवेदन वाद के गुण-दोष पर विचार करने के पश्चात निरस्त किया गया था, किंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदिका महिला है तथा उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और वह पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि साक्षियों के बयानों से यह परिलक्षित होता है कि मृतका अपने पति के साथ पृथक निवास करती थी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. तथापि, यह आवेदिका की ओर से प्रस्तुत किया गया द्वितीय जमानत आवेदन है तथा आवेदिका का प्रथम जमानत आवेदन इस तथ्य पर विचार करने के पश्चात निरस्त किया गया था कि वह मृतका की सास है और उसकी पुत्रवधू की मृत्यु गला दबाए जाने के कारण हुई थी तथा दहेज की मांग और प्रताड़ना का आरोप भी है, किंतु यह परिलक्षित होता है कि आवेदिका पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध है।
10. आगे, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से भी यह परिलक्षित होता है कि मृतका अपने पति के साथ पृथक निवास करती थी तथा मृतका की शव-परीक्षण रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि इससे यह परिलक्षित होता है कि मृतका की मृत्यु के लिए उसका पति उत्तरदायी है, इस स्तर पर पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता, अभियोजन साक्षियों के बयानों, जिसमें विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित उनके बयान भी सम्मिलित हैं, पर विचार करने के पश्चात।
11. आगे, आवेदिका महिला है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
12. अतः, उपर्युक्त विवेचित वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरी दृष्टि में आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है।
13. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
14. आवेदिका - **चंद्रावती देवी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उपर्युक्त वाद में जमानत पर रिहा किया जाए :-
 - (i) आवेदिका नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मुक्ति प्रदान न की गई हो।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदिका किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदिका किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगी।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदिका की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।